न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2007/156** दायर दिनांक **08.10.2007**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मन्दिर श्री रूघनाथ जी ग्राम भवाद जरिये पुजारी रामकुँवार पुत्र रमचन्द्र, जाति–ब्राह्मण पुजारी, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र रामचन्द्र, 2. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र, 3. नन्दाराम पुत्र हरिराम, 4. औमप्रकाश पुत्र हरिराम, 5. दीनदयाल पुत्र हरिराम, 6. श्यामसुन्दर पुत्र हरिराम, 7. परमेश्वरी पत्नी हरिराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **02.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम भुवाद में मन्दिर श्री रूघनाथ जी महाराज का पुजारी अपने पिता रामचन्द्र पुजारी के बाद वादी अव तक सेवा पूजा अर्चना कर रहा है।

उपर्युक्त मन्दिर श्री रूघनाथजी महाराज की डोली खसरा नम्बर 157 रकवा 14.10 बीघा, खसरा नम्बर 16 रकबा 14.01 बीघा, खसरा नम्बर 22 रकवा 24.04 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 19.19 बीघा, कुल रकबा 72.14 बीघा है। खतौनी संवत् 2006 व 2002–2015 व मिलान क्षेत्र की प्रतियाँ पेश है। उपर्युक्त खेतों के वर्तमान खसरा नम्बर 259 रकबा 44.16 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 32.10 बीघा है जिसका खसरा मिलान की प्रति संलग्न है।

वादी के पिता रामचन्द्र के स्वर्गवास के बाद उक्त मन्दिर के पुजारी की हैसियत से उपर्युक्त खेतों की भूमि पर काश्त वादी निरन्तर करता आ रहा है और मन्दिर की मन्दिर की सेवा–पूजा करता है।

वर्तमान जमाबन्दी में उपर्युक्त खेतों की खातेदारी मन्दिर श्री रूघनाथ जी महाराज भवाद के स्थान पर प्रतिवादीगण ने, राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर, अपने नाम दर्ज करवा ली है व बैचाण करना चाहते हैं जिससे मन्दिर रूघनाथ जी महाराज की सेवा–पूजा का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और मन्दिर की सम्पत्ति से वादी को, प्रतिवादीगण जबरन बेदखल करने पर तुले हुए हैं। प्रतिवादीगण ने दिनांक

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2007/156
दायर दिनांक 08.10.2007, निर्णय दिनांक 02.06.2017
मन्दिर श्री रूघनाथ जी बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

18.07.2007 को खेतों पर आकर वादी को धमकी दी तब वादी ने उपर्युक्त खेतों की समस्त प्रविष्टियाँ की उप प्रतियाँ तहसीलदार कार्यालय व अन्य कार्यालय से प्राप्त की हैं जिससे वादी के जायज हक अधिकार खतरे में पड़ गये हैं इसलिए वादी को घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना आवश्यक हो गया है।

उपर्युक्त खेतों की भूमि से वादी को प्रतिवादीगण जबरन बल पूर्वक बेदखल करने पर आमादा फिसाद है जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

प्रतिवादीगण का उपर्युक्त खेतों पर रामचन्द के जीवनकाल या उनके स्वर्गवास के बाद कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है न आज दिन कब्जा है। मौजूदा कब्जाकाश्त वादी करता है। प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार डीडवाना को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है परन्तु उनके खिलाफ वादी कोई रिलीफ नहीं चाहता है।

बिनाय दावा दिनांक 18.09.2007 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उपर्युक्त खेतों की भूमि को बैचाण करने की धमकी दी तथा खेतों से जबरदस्त बेदखल करने पर उतारू हुए तब बमुकाम भवाद पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

वाद वर्णित खेतों की भूमि मन्दिर श्री रूघनाथ जी महाराज भवाद जरिये पुजारी रामकुँवार पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन भवाद के नाम से घोषित की जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वाद वर्णित खेतों की भूमि को दौराने वाद अन्य किसी को मुन्तकिल बैचाण, प्रतिवादीगण नहीं करे।

वाद वर्णित खेतों की भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर मन्दिर श्री रघनाथ जी महाराज भवाद जरिये पुजारी रामकुँवार पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन भवाद दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 08 की आरे से दिनांक 16.11.2007 को प्रकरण में जवाब पेश हुआ। पर्याप्त अवसर दिया जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 06 के कायम मुकाम पेश हुए। वकील वादी ने, प्रतिवादी संख्या 06 के खिलाफ अबेट चाहा जिसपर वकील प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं होने से अबेट प्रतिवादी संख्या 06 स्वीकार की गयी।

वाद में– वादी का शपथ–पत्र, इकरारनामा दिनांक 08.10.199 की छायाप्रति, जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत् 2054–2057 तक की छायाप्रति, मिलान क्षेत्र फल मौजा भवाद की छायाप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत खरवालिया (भवाद) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 23.07.1999 की छायाप्रति, जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 तक खेवट संख्या 122/96 की छायाप्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 तक खेवट संख्या 99/96 की छायाप्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 तक की छायाप्रति, खतौनी मिसल बन्दोबस्त गाँव भवाद सम्वत् 2006 खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम भवाद सम्वत् 2052–2055 की छायाप्रति, मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2006 गाँव भवाद नम्बर खतौनी 63 की छायाप्रति, मिलान क्षेत्रफल मौजा भवाद सम्वत् 2022 से की छायाप्रति, पत्रावली के संलग्न है।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित हुए। पक्षकारान् को सुना गया। वादी दावानुसार, वाद को डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अस्तावेजात् का अवलोकन किया। मजमे आम में पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी।

मजमें आम में प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार, वादग्रस्त भूमि, जो कि "श्री रूघनाथ जी महाराज, भवाद" की है, पर स्वर्गीय रामचन्द्र जाति–ब्राह्मण निवासी भवाद का कब्जाकाश्त था व उनके स्वर्गवास के बाद से अबतक उनके पुत्र रामकुँवार उक्त भूमि पर काश्त करते है। अतः प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में, हमारे मत में, उक्त भूमि को "मन्दिर मूर्ति श्री रूघनाथ जी महाराज, भवाद" के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवचेन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद भवाद में खसरा नम्बर 19 रकबा 24.04 बीघा, खसरा नम्बर 169 रकबा 04.08 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 43.16 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 32.14 बीघा, खसरा नम्बर 322 रकबा 08.09 बीघा की खातेदारी, वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, "मन्दिर मूर्ति श्री रूघनाथ जी महाराज, भवाद" के नाम से घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **02.06.2017** को कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2007/156

दायर दिनांक 08.10.2007

वादी		प्रतिवादीगण
1. मन्दिर श्री रूघनाथ जी ग्राम भवाद जरिये पुजारी रामकुँवार पुत्र रमचन्द्र, जाति–ब्राह्मण पुजारी, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र रामचन्द्र, 2. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र, 3. नन्दाराम पुत्र हरिराम, 4. औमप्रकाश पुत्र हरिराम, 5. दीनदयाल पुत्र हरिराम, 6. श्यामसुन्दर पुत्र हरिराम, 7. परमेश्वरी पत्नी हरिराम, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–भवाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188 R.T. Act.

दिनांक 02.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद भवाद में खसरा नम्बर 19 रकबा 24.04 बीघा, खसरा नम्बर 169 रकबा 04.08 बीघा, खसरा नम्बर 217 रकबा 43.16 बीघा, खसरा नम्बर 218 रकबा 32.14 बीघा, खसरा नम्बर 322 रकबा 08.09 बीघा की खातेदारी, वर्तमान में दर्ज खातेदारी के स्थान पर, "मन्दिर मूर्ति श्री रूघनाथ जी महाराज, भवाद" के नाम से घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 02.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–मण्डूकरा

(मुहर: सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned by CamScanner